परियोजना की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण को उत्तरप्रदेश में निम्न-लिखित मौजूदा हवाई अड्डों के उन्नयन की योजना है।

आगरा :—मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार, टैक्सी पथ को चौड़ा करना, एप्रन का विस्तार और संयोजी टैक्सी पथ का निर्माण और डोपलर अति उच्चा-वृत्ति सर्वपरास और दूरी मापक उपस्कर की संस्थापना। लखनऊ—धावन पथ एप्रन और टैक्सी पथ पर पुनः फर्श बिछाना, धावनपथ के दोनों छोर पर ट्रनिंग पैडों का निर्माण और धावनपथ को शोल्डरिंग करना।

वाराणसी—टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन।

कानपुर (चकेरी)—टर्मिनल काम्प-लैक्स का विकास और अतिउच्चावृत्ति सर्वपरास तथा पूरी मापक उपस्कर की संस्थापना।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों के विकास हेतु प्रस्ताव

348. **मौलाना अबेदुल्ला खान आज़मी** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्यमान पर्यटक केन्द्रों का विकास करने और कुछ नए केन्द्र स्थापित करने हेतु 1993–94 के दौरान केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं ;

(ग) ये पर्यटक केन्द्र कितने जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक पर्यटक केन्द्र हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इन्हें किस तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित 7 पूरे प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जो स्वीकृत हो गए हैं :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
1.	मुरादनगर (जिला मेरठ, उ०प्र०) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं . .	8.35
2.	पडरौना (जिला गोरखपुर, उ०प्र०) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं . .	8.27
3.	शाहगंज (जिला जौनपुर, उ०प्र०) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं . .	8.28
4.	सरधाना (जिला मेरठ, उ०प्र०) में पर्यटक लांज . . .	13.43
5.	खंडौला (जिला मुजफ्फरनगर, उ०प्र०) में पर्यटक परिसर . .	10.07
6.	बटेश्वर (जिला आगरा, उ०प्र०) में पर्यटक परिसर . .	13.59
7.	बटेश्वर (जिला आगरा, उ०प्र०) में घाटों का सुधार . . .	20.00
	जोड़ :	82.01

(ग) और (घ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकार को योजनावार दी जाती है न कि जिले-वार और इनका निष्पादन पूर्ण रूप से राज्य सरकार पर निर्भर करता है और इनको पूरा करने की निर्धारित तारीख, स्वीकृति की तारीख से 18 महीने बाद की होती है।

महानिदेशक, नागर विमानन के पास पंजीकृत विमान

349. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानिदेशक, नागर विमानन के पास कितने विमान पंजीकृत हैं जिन्हें राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है :

(ख) इनमें से कितने विमान मध्य प्रदेश के हैं और राज्य के नाम पंजीकृत विभिन्न प्रकार के विमानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विमानों की उड्डयन योग्यता प्रमाणित करने के लिए भोपाल में कोई कार्यालय स्थापित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सिविल एयरक्राफ्ट रजिस्टर में 906 विमान पंजीकृत हैं।

(ख) मध्य प्रदेश के पंजीकृत पते वाले 23 विमान हैं जिनमें से 19 का बेस राज्य के भीतर है और 4 का राज्य से बाहर। मध्य प्रदेश सरकार के नाम में पंजीकृत विमानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

विस्तृत	पंजीकरण संख्या
1. बी-200	वीटी–ईआईडी
2. डॉफिन हेलीकाप्टर	वीटी–ईएनडब्लू
3. चेतक हेलीकाप्टर	वीटी–ईसीई
4. चेतक हेलीकाप्टर	वीटी–ईधारडी

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान को उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र देने हेतु भोपाल में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है।

Recovery of penalty from Sohar India Airlines

350. SHRI G. Y. K.RISHNAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) the steps taken to recover Rs. 8 crores penalty imposed by the International Airports Authority of India on Sahara India Airlines for the damage caused to the Indira Gandhi International Airport property, due to the. recent crash of a Boeing 737 operated by Sahara; and

(b) the measures taken to prevent such incidents of crash by private air operator!.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GULAM NABI AZAD): (a) Initially a tentative claim of Rs. 8.00 crores was lodged by the International Airports Authority of India (IAAI) with M/s. Sahara India Airlines. However, bated on the factual de-tails, the low has been worked out to R«. 5.67 crore*. In order to reebver